सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 502/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 17 नवम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर

उत्तर प्रदेश का टाप 10 अपराधी व जनपद आजमगढ़ का कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग *D*-11 का लीडर अभियुक्त ध्रव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुल 99,39,600 रूपये की संपत्ति कुर्क, प्रशासक तहसीलदार नियुक्त

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं 467/ 2013 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित कुख्यात अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का एक संगठित अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए पूर्वांचल में सक्रिय है यह गैंग जनपद स्तर पर पंजीकृत है जिसका नंबर *D*-11 है अभियुक्त उपरोक्त स्वयं इस गैंग का लीडर है तथा गैंग में कुल 8 सक्रिय सदस्य है अभियुक्त कुंटू सिंह पंजीकृत गैंग के सदस्यों के अतिरिक्त भी जनपद आजमगढ़ में आसपास के जनपदों के कुख्यात अपराधियों से गठजोड़ कर अपराध करता रहता है अभियुक्त कुंटू सिंह के जीवन यापन का साधन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है तथा अक्सर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए अपराध कारित करके जेल में ही रहता है किंतु अभियुक्त ने जेल के अंदर से ही अपने अपराधिक गैंग का संचालन करते हुए अवैध रूप से धनार्जन कर नामी बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली है अभियुक्त कुंटू सिंह का जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में भय व आतंक व्याप्त है जिस कारण उसके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है चुनावी प्रक्रिया में अभियुक्त द्वारा वोटरों को भी धमकाया जाता है।

इसी क्रम में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के पत्र संख्या 879(2)/ न्याय – सहायक दिनांक 17.10.2020 के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.11.2020 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** , **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ** व **क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अजय कुमार यादव** के कुशल निर्देशन में तहसीलदार सगड़ी श्री विजेन्द्र कुमार उपाध्याय लेखपाल अभिमन्यु राम व मय राजस्व टीम व प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी , व0उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह कर्मचारीगण के साथ ग्राम खर्रारास्तीपुर में उत्तर प्रदेश के टाप टेन व दुर्दान्त अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की अवैध सम्पत्ति को कुर्क करने के सम्बन्ध में निम्न अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया। 1. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/8 रकवा 0.753 हे0 जो ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 16 ,56,600.00 रूपया निर्धारित किया गया है , को कुर्क किया गया। 2. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/4 रकवा 1.506 हे0 जो अभियुक्त की पत्नी वन्दना सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 33 ,13,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है , को कुर्क किया गया। 3.

गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 7/24 रकवा 1.757 हे0 जो अभियुक्त की भाभी किरन सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 38 ,65,400.00 रूपया निर्धारित किया गया है , को कुर्क किया गया। 4. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे अभिषेक पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5 ,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है , को कुर्क किया गया। 5. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे कुलदीप पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5 ,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है , को कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति का मूल्य 99 ,39,600.00 रूपया व कुल 21 बीघा जमीन है। उक्त सभी कुर्क किये गये सम्पत्ति के प्रशासन के तरफ से प्रशासक श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी होगें।